माननीय जिला न्यायाधीश, एस.ए.एस. नगर, मोहाली के न्यायालय में
हिन्दू विवाह अधिनियम वाद संख्या _____ वर्ष 2026

श्री **xxxxxx**
बनाम
सुश्री **xxxxxx**

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन

मान्यवर,

आवेदक अत्यन्त आदरपूर्वक निम्नलिखित निवेदन करता है:-

1. कि आवेदक उपर्युक्त शीर्षकित याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

2. कि आवेदक विधि का जानकार नहीं है तथा न्यायालयीन कार्यवाही का समुचित ज्ञान एवं अनुभव नहीं रखता। अतः न्यायहित में वह अपने वाद की पैरवी एवं संचालन श्री दीपक मल्होत्रा एवं श्री अविश मल्होत्रा, अधिवक्तागण के माध्यम से कराना चाहता है।

अतः प्रार्थना है कि न्यायहित में इस आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक को अपने वाद की पैरवी, प्रस्तुतीकरण एवं संचालन उपर्युक्त अधिवक्ताओं के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

दिनांक : _____

स्थान : _____

आवेदक

माननीय जिला न्यायाधीश, एस.ए.एस. नगर, मोहाली के न्यायालय में
हिन्दू विवाह अधिनियम वाद संख्या _____ वर्ष 2026

श्री xxxxxx

पुत्र श्री xxxxxx

निवासी xxxxxx,

एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब – 160062.

..... याचिकाकर्ता

बनाम

सुश्री xxxxxx

पुत्री श्री xxxxxx

निवासी xxxxxx

..... प्रतिवादी

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह-विच्छेद (तलाक) की याचिका
मान्यवर,

याचिकाकर्ता अत्यन्त आदरपूर्वक निम्नलिखित निवेदन करता है:-

1. कि याचिकाकर्ता का विवाह प्रतिवादी के साथ दिनांक **29** अगस्त, **2018** को **xxxxxx,** एस.ए.एस. नगर में हिन्दू वैदिक रीति-रिवाजों एवं धार्मिक संस्कारों के अनुसार विधिवत सम्पन्न हुआ। उक्त विवाह प्रेम-विवाह था तथा विवाह एवं सगाई समारोह का समस्त व्यय याचिकाकर्ता द्वारा वहन किया गया। उक्त वैवाहिक संबंध से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ।

2. कि विवाह सम्पन्न होने के पश्चात याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी पति-पत्नी के रूप में मकान संख्या **xxxxxx,** एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब में साथ रहने लगे।

3. कि विवाह से पूर्व तथा वर्तमान याचिका दायर किए जाने के समय याचिकाकर्ता (पति) एवं प्रतिवादी (पत्नी) की आयु, वैवाहिक स्थिति तथा निवास का विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण	पति वैवाहिक स्थिति	पति आयु	पत्नी आयु	पत्नी निवास
विवाह से पूर्व	हिन्दू, अविवाहित	लगभग 29 वर्ष	लगभग 22 वर्ष	xxxxxx

वर्तमान याचिका करते समय	दायर विवाहित	लगभग 37 वर्ष	लगभग 30 वर्ष	पूर्ववत (यथावत)

4. कि याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी का विवाह याचिकाकर्ता के माता-पिता द्वारा सम्पन्न कराया गया था। विवाह के समय याचिकाकर्ता, उसके माता-पिता अथवा उसके किसी भी रिश्तेदार द्वारा प्रतिवादी अथवा उसके परिवार से किसी प्रकार का दहेज स्वीकार नहीं किया गया।

5. कि विवाह के लगभग दूसरे माह से ही दोनों पक्षों के मध्य वैवाहिक संबंध सुखद, सौहार्दपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण नहीं रहे। वैवाहिक जीवन में उत्पन्न असामंजस्य एवं मतभेदों का प्रमुख कारण प्रतिवादी का व्यवहार एवं आचरण रहा। यद्यपि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को प्रसन्न रखने तथा वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाए रखने के उद्देश्य से बाली एवं थाईलैंड की दो विदेश यात्राओं की व्यवस्था भी की, तथापि प्रतिवादी के व्यवहार एवं स्वभाव में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया।

6. कि विवाह के दूसरे माह से ही प्रतिवादी का व्यवहार एवं आचरण याचिकाकर्ता के माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्यों तथा रिश्तेदारों के प्रति अत्यन्त अपमानजनक, असम्मानजनक, झगड़ालू, अभद्र, हठी, प्रभुत्व स्थापित करने वाला, हिंसक तथा आत्मघाती प्रवृत्ति का रहा है। प्रतिवादी ने अपने कृत्यों एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार द्वारा लगभग प्रतिदिन याचिकाकर्ता को मानसिक तनाव एवं पीड़ा पहुँचाई तथा पत्नी के रूप में अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन करने से निरन्तर इंकार किया। इस प्रकार प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया।

7. कि विवाह के पश्चात प्रतिवादी **xxxxxx** का व्यवहार एवं स्वभाव याचिकाकर्ता तथा उसके परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यन्त आक्रामक हो गया। प्रतिवादी प्रायः याचिकाकर्ता का उसके घरेलू कर्मचारियों, परिवारजनों तथा अन्य व्यक्तियों के समक्ष अपमान करती थी तथा याचिकाकर्ता एवं उसके परिवार पर अपना अनुचित प्रभुत्व स्थापित करने का निरन्तर प्रयास करती रहती थी।

8. कि प्रतिवादी का स्वभाव अत्यन्त अस्थिर एवं मनमौजी था। वह बिना किसी उचित कारण अथवा उकसावे के घर का सामान तोड़-फोड़ देती थी। इतना ही नहीं, अपनी अनुचित एवं अवांछित माँगों को मनवाने के उद्देश्य से वह कई-कई घंटों तक स्वयं को स्नानघर (बाथरूम) में बंद कर लेती थी तथा इस प्रकार याचिकाकर्ता को मानसिक रूप से प्रताड़ित एवं ब्लैकमेल करती थी।

9. कि प्रतिवादी की यह नियमित आदत थी कि वह याचिकाकर्ता को आत्महत्या करने की धमकी देती रहती थी तथा बार-बार यह कहती थी कि यदि उसने आत्महत्या की, तो वह अपने आत्महत्या-पत्र (Suicide Note) में याचिकाकर्ता एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फँसा देगी।

10. कि प्रतिवादी ने विवाह के प्रारम्भिक तीन माह के भीतर ही अनेक अवसरों पर याचिकाकर्ता से तलाक की माँग की तथा स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित किया कि वह वैवाहिक जीवन को बनाए रखने की इच्छुक नहीं है।

11. कि प्रतिवादी घरेलू जीवन के प्रत्येक छोटे-बड़े निर्णय में याचिकाकर्ता पर अनुचित दबाव बनाती थी तथा आत्महत्या की धमकी देकर उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए विवश करती थी। परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के पास

मानसिक उत्पीड़न एवं पीड़ा को मौन रहकर सहन करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रहता था।

12. कि प्रतिवादी दिनांक _____ को अपने एक पुरुष मित्र के प्रभाव एवं बहकावे में आकर बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक गृह छोड़कर चली गई। इसके उपरान्त लगभग पिछले तीन वर्षों से प्रतिवादी लगातार याचिकाकर्ता को यह धमकी देती रही कि वह उसके साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत किए बिना ही याचिकाकर्ता एवं उसके समस्त परिवारजनों को झूठे आपराधिक मामलों में फँसा देगी।

13. कि प्रतिवादी के पुरुष मित्र, उसके माता-पिता, बहनों तथा बहनोई द्वारा पक्षकारों के वैवाहिक जीवन में अत्यधिक एवं अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता रहा, जिसके परिणामस्वरूप विवाह के लगभग तीन माह के भीतर ही याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी के मध्य अलगाव उत्पन्न हो गया तथा उनका वैवाहिक संबंध व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया।

14. क्रूरता [धारा 13(1)(क)]

कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ निरंतर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। प्रतिवादी का व्यवहार याचिकाकर्ता के प्रति अत्यन्त अमानवीय, अपमानजनक एवं असहनीय रहा है। उसने अपने आचरण, व्यवहार एवं कार्यों द्वारा याचिकाकर्ता का वैवाहिक जीवन पूर्णतः कष्टमय एवं असहनीय बना दिया। प्रतिवादी ने न केवल याचिकाकर्ता का निरंतर मानसिक उत्पीड़न किया, बल्कि उसके माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों का भी प्रत्येक संभव अवसर पर अपमान किया। प्रतिवादी के उक्त आचरण के कारण याचिकाकर्ता के लिए उसके साथ पति-पत्नी के रूप में रहना असंभव हो गया है। अतः प्रतिवादी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(क) [Section 13(1)(ia)] के अंतर्गत क्रूरता की दोषी है।

15. परित्याग [धारा 13(1)(ख)]

कि प्रतिवादी बिना किसी उचित, वैध अथवा पर्याप्त कारण के दिनांक //20__ को स्वेच्छा से वैवाहिक गृह छोड़कर चली गई। उस दिन से लेकर वर्तमान याचिका दायर किए जाने तक प्रतिवादी लगातार दो वर्ष से अधिक अवधि तक याचिकाकर्ता का परित्याग किए हुए है।

याचिकाकर्ता ने अपने रिश्तेदारों, परिवार के बुजुर्गों एवं मध्यस्थों के माध्यम से प्रतिवादी को पुनः वैवाहिक गृह वापस लाने के अनेक ईमानदार एवं गंभीर प्रयास किए, किन्तु प्रतिवादी ने सभी प्रयासों को अस्वीकार कर दिया।

प्रतिवादी का परित्याग पूर्णतः जानबूझकर, निरंतर तथा बिना किसी वैध कारण के किया गया है। प्रतिवादी अपने अज्ञात पुरुष मित्रों के प्रभाव में आकर याचिकाकर्ता को कई वर्षों के वैवाहिक जीवन के उपरांत अकेला छोड़कर चली गई और पुनः साथ रहने से इंकार करती रही। अतः प्रतिवादी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ख) [Section 13(1)(ib)] के अंतर्गत परित्याग की दोषी है।

16. व्यभिचार [धारा 13(1)(i)]

कि विवाह संपन्न होने के पश्चात प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ स्वेच्छा से शारीरिक संबंध स्थापित किए।

याचिकाकर्ता को यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिवादी श्री _____ निवासी _____ के साथ अवैध एवं अनैतिक संबंध बनाए हुए है। इस संबंध की जानकारी याचिकाकर्ता को लगभग दिनांक //20__ को प्राप्त हुई, जब थाना _____ में डीडीआर संख्या _____ दर्ज हुई।

प्रतिवादी को उक्त व्यक्ति के साथ अनेक अवसरों पर ऐसे हालात में देखा गया, जिनसे उनके मध्य अवैध संबंध होने का स्पष्ट संकेत मिलता है।

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के उक्त अवैध संबंधों के संबंध में आवश्यक दस्तावेजी एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिनमें–

- फोटोग्राफ,
- इलेक्ट्रॉनिक संदेश,
- कॉल डिटेल रिकॉर्ड,
- होटल अभिलेख (यदि उपलब्ध हों),
- यात्रा संबंधी अभिलेख,
- सोशल मीडिया संचार,
- तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान

शामिल हैं, जिन्हें सुनवाई के दौरान इस माननीय न्यायालय के समक्ष विधि अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रतिवादी का उक्त आचरण हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i) के अंतर्गत व्यभिचार का स्पष्ट आधार है तथा याचिकाकर्ता विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।

17.

कि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी क्रूरता, परित्याग एवं व्यभिचार जैसे वैवाहिक अपराधों की दोषी है।

18.

कि इसी प्रकार की कोई अन्य याचिका अथवा कार्यवाही किसी अन्य सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं है।

19.

कि वर्तमान याचिका प्रतिवादी के साथ किसी प्रकार की मिलीभगत, सहमति अथवा षड्यंत्र के आधार पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

20.

कि याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी का विवाह जिरकपुर, जिला मोहाली में सम्पन्न हुआ था। अतः इस माननीय न्यायालय को वर्तमान याचिका का विचारण एवं निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

21.

कि याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादी दिनांक **28 फरवरी, 2019** से पृथक-पृथक रह रहे हैं तथा उक्त तिथि से अब तक पति-पत्नी के रूप में साथ नहीं रहे हैं।

22.

कि वर्तमान याचिका पर नियमानुसार देय न्यायालय शुल्क विधिवत् चस्पा कर दिया गया है।

प्रार्थना

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि–

(क) याचिकाकर्ता के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह-विच्छेद (तलाक) की डिक्री पारित करने की कृपा की जाए।

(ख) न्यायहित में माननीय न्यायालय जो अन्य उचित एवं उपयुक्त आदेश पारित करना आवश्यक एवं न्यायोचित समझे, वह भी पारित करने की कृपा की जाए।

दिनांक : _____

स्थान : मोहाली

याचिकाकर्ता

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त नामित याचिकाकर्ता, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि इस याचिका के अनुच्छेद संख्या 1 से 21 तक वर्णित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा इनमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया गया है।

सत्यापित दिनांक : _____

स्थान : मोहाली

याचिकाकर्ता

दीपक मल्होत्रा एवं अविश मल्होत्रा
(याचिकाकर्ता के अधिवक्ता)